

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
सजसव एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या-207/भू0अ0,

मेदिनीनगर, दिनांक-18-07-2016

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-ओझापतरा, थाना-तरहसी, थाना सं0-437, अंचल तरहसी, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना सगालिम-तरहसी-पदमा पहुँच पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-ओझापतरा, थाना-तरहसी, थाना सं0-437 अंचल तरहसी, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 8.09 एकड़ यानि 3.27 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	31	89A	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड III	0.36	सुदेश्वर पाण्डेय पिता-नन्दकेशवर पाण्डेय, बच्चु पाण्डेय, मुनेश्वर पाण्डेय, बैजनाथ पाण्डेय, इन्द्रदेव पाण्डेय पिता-रामवृक्ष पाण्डेय, रविन्द्र शुक्ला पिता-गंगा शुक्ला, बागेश्वर पाण्डेय पिता-केशो पाण्डेय, बागेश्वर पाण्डेय, युगेश्वर पाण्डेय, अमरेश पाण्डेय पिता-केशो पाण्डेय निवासी ग्राम तरहसी	89	89	79	90
2.	05	90	रैयती	टांड III	0.52	तदैव	90	90	89	89
3.	31	89C	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड III	0.54	तदैव	48	89	89	87
4.	31	89B	तदैव	टांड III	1.12	उदेश्वर पाण्डेय वो मुनेश्वर पाण्डेय वो गणेश पाण्डेय पिता स्व0-मथुरा पाण्डेय, अर्जुन पाण्डेय, रमेश पाण्डेय पिता- सरयू पाण्डेय, उमाशंकर पाण्डेय पिता-नन्हक पाण्डेय, विनायक पाण्डेय, सुखदेव पाण्डेय, सुखन्दन पाण्डेय, चन्द्रधन पाण्डेय पिता-स्वार्थी पाण्डेय, नरेश पाण्डेय, मुरारी पाण्डेय, नारद पाण्डेय पिता स्व0-रामवृक्ष पाण्डेय, धर्मदेव पाण्डेय पिता स्व0-बालो पाण्डेय	89	89	90	89
5.	11	42	-	टांड III	0.30	तदैव	100	92	42	92


6.	31	92D	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड III	1.30	जोगी साव वो विष्णुणी साव पिता स्व0-सोहराई साव निवासी ग्राम तरहसी	92	92	92	92
7.	31	92C	तदैव	टांड III	0.33	सहोदरी देवी पति-रामसेवक साव	92	92	92	92
8.	31	92E	तदैव	टांड III	0.125	तदैव	92	92	92	92
9.	09	87	बकास्त मालिक	टांड III	0.72	बासुदेव यादव पिता स्व0-बन्धु यादव	87	87	84.89	92
10.	21	84	तदैव	टांड III	0.28	तदैव	84	89	89	87
11.	31	92A	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड III	1.235	शैलन्द्र पाण्डेय वो विजय पाण्डेय पिता-रामाधार पाण्डेय तरहसी	92	92	87	92
12.	31	92B	तदैव	टांड III	0.20	हरिहर साव वो रामजीत साव वो तपेसर साव पिता स्व0-उमा साव वो अरविन्द साव पिता स्व0-राजो साव वो मसोमात सितारा कुवंर पति स्व0-राजा साव	92	92	92	92
13.	31	92G	तदैव	टांड III	0.11	जलालउदीन अंसारी वो बालोनुदीन अंसारी पिता स्व0-गुलाम मोहमद अंसारी वो सफुर्दुदीन वो एकबाल हसन वो नुरुल हसन पिता-कुतुबदीन हसन वो मोख्तार अहमद पिता-खैरात अहमद वो इपतखार अहमद पिता स्व0-खैरात अहमद	42	92	92	92
14.	31	92H	तदैव	टांड III	0.32	बुधन मांझी पिता-गनोरी मांझी वो लाखी कुवंर पति-विरेन्द्र पासवान वो कौशल्या देवी पति-कृष्णा पासवान	100	92	42	92
15.	31	92F	तदैव	टांड III	0.63	सुदेवश्वर पाण्डेय पिता-नन्दकेश्वर पाण्डेय वो बच्चु पाण्डेय, मुनेश्वर पाण्डेय, बैजनाथ पाण्डेय, इन्द्रदेव पाण्डेय पिता-रामवृक्ष पाण्डेय वो रविन्द्र शुक्ला पिता-गंगा शुक्ला, बागेश्वर पाण्डेय पिता-केशो पाण्डेय वो रामाधार पाण्डेय, बागेश्वर पाण्डेय, मुनेश्वर पाण्डेय, अमरेश पाण्डेय पिता-केशो पाण्डेय	100	92	92	92


यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल तरहसी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।
9-7-16


अपर समाहर्ता,
पलामू।


उपायुक्त, पलामू।
13/07/16